



राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 15/2025

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेंट:-

- श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मोहन सिंह राजपुरोहित निवासी पटाउ खुर्द, तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा।

- तहसीलदार कल्याणपुर।

आदेश

दिनांक 14.05.2025

अपीलार्थी श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मोहन सिंह राजपुरोहित निवासी पटाउ खुर्द, तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील उतरदाता तहसीलदार कल्याणपुर के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 22.04.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा भ्रमित एवं गलत धारा का हवाना देते हुए सूचना उपलब्ध कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कल्याणपुर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना तहसीलदार कल्याणपुर के पत्रांक/भू.अ./2025/536 दिनांक 20.03.2025 को निर्धारित समयावधि में जरिये डाक कार्यालय में उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवाई गई। साथ ही कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रश्नात्मक एवं तृतीय पक्षकार के निजी दस्तावेजों से संबंधित सूचना है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ), 8(1)(जे) के अनुसार प्रश्नात्मक व तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अस्वीकार कर प्रकरण खारिज योग्य है।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रश्नात्मक एवं तृतीय पक्षकार के निजी दस्तावेजों से संबंधित सूचना है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ), 8(1)(जे) के अनुसार प्रश्नात्मक एवं तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है। साथ ही अपीलार्थी को वांछित सूचना अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कल्याणपुर के पत्रांक/भू.अ./2025/536 दिनांक 20.03.2025 को जरिये डाक उपलब्ध करवा दी गई है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 14.05.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा